राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–152/2019

रामगोपाल जाट

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, नायन तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. डॉ. विष्णुकान्त शर्मा, प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, भंवरपुरा, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार से अनुमोदित एवं सहायता प्राप्त विद्यालय श्रीगोविन्द संस्कृत पाठशाला सामोद जिला जयपुर में आदेश दिनांक 31.01.1985 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर की गई एवं आदेश दिनांक 09.09.1986 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 07.01.1986 से प्रधानाध्यापक के पद पर स्थायी किये जाने की स्वीकृति की गई। तत्पश्चात प्रदान राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप–5 विभाग जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 11.09.1986 के द्वारा श्री गोविन्द उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सामोद को राज्याधीन करने हेतू आदेश जारी किया गया, जिसमें स्क्रीनिंग के पश्चात सरकार द्वारा विधिक मानक के अनुरूप पाये जाने पर वर्तमान सृजित पदो को अधिग्रहित कर लिया गया एवं अपीलार्थी की नियुक्ति यथावत प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक 01.04.1987 को की गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.041987 से राज्य सरकार के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक के पद पर निरन्तर संतोषजनक सेवायें दी गई। अपीलार्थी आचार्य द्वितीय श्रेणी साहित्य पास है, एवं एम.ए. संस्कृत विषय में द्वितीय श्रेणी में है एवं प्राचार्य,

वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतू योग्यता रखता है। उसके बावजूद भी अपीलार्थी की पदोन्नति प्राचार्य के पद पर नहीं की गई एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ डॉ. विष्णु कान्त शर्मा जिसका वरिष्ठता सूची 30.12.2015 में 48 नम्बर पर नाम है, एवं अपीलार्थी का 1 नम्बर पर नाम है। डॉ. विष्णुकान्त शर्मा की पदोन्नति दिनांक 21.04.2017 के द्वारा प्राचार्य के पद पर कर दी गई, जिनका नाम 117 नम्बर पर है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति कर दी गई। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 01.04.2014 को रिक्त पदों का विवरण जारी किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य के 142 पद स्वीकृत है एवं दिनांक 01.04.2014 को 93 रिक्त पद दर्शाये हैं। रिक्त पदों के होते हुए भी वर्ष 2000 से लगातार प्रधानाध्यापक के पद से प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर पदोन्नति नहीं की गई है। निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान द्वारा दिनांक 30.12.2015 को दिनांक 01.04.2015 को अवस्थित प्राध्यापक (विद्यालय शाखा) की स्थायी (अन्तिम) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में 01 नम्बर पर है। अपीलार्थी वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर है, एवं प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु सभी योग्यताएं रखता है। उसके बावजूद भी आज तक अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं की गई है एवं अपीलार्थी दिनांक 31.12.2018 को प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पर राज्य सरकार के अन्तर्गत दिनांक 01.04.1987 को की गई। तब से लगातार प्रधानाध्यापक के पद पर रहते हुए दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन अपीलार्थी की पदोन्नति रिक्त पद होते हुए भी प्राचार्य के पद पर नहीं की गई एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति प्राचार्य के पद पर आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा कर दी गई। राजस्थान सरकार ने दिनांक 09.10.2015 को राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) सेवा नियम 2015 बनाये गये, जो दिनांक 09.10.2015 से प्रभावी किये गये हैं एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.04.2017 को प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर 119 व्यक्तियों की पदोन्नति की गई, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति डॉ विष्णु कान्त शर्मा प्रधानाध्यापक राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय गोविन्दपुरा सांगानेर जयपुर की पदोन्नति प्राचार्य के पद पर राजकीय वरिष्ठ

उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भँवरपुरा नागौर में कर दी गई। जबकि अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में एक नम्बर पर नाम है।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर पूर्व वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति किये जाने के आदेश फरमावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने अपील में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि उसे किस वर्ष में प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर पदोन्नति चाहिए। अपीलार्थी को उल्लेख करना पडेगा कि उसे किस वर्ष में पदोन्नति चाहिए। सन् 2000 तक महाविद्यालय/विद्यालय एक साथ ही संचालित होते थे, तब तक विधिवत प्राचार्य शास्त्री कॉलेज/उपाध्याय कॉलेज पद पर पदोन्नति की जाती रही है, किंतु इसके बाद महाविद्यालय एवं विद्यालय सन् 2000 से पृथक–पृथक संचालित किये जाने लगे। इसके उपरांत प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर सेवा नियमों के अभाव में पदोन्नति नहीं की जा सकी। अब दिनांक 09.02.2015 को राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम (विद्यालय शाखा) 2015 लागू होने के कारण अब नियमानुसार प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय पद की पदोन्नति की जा रही है, इस हेतु अपीलार्थी पात्रता नही रखता है। विभाग में प्रधानाचार्य (वरिष्ठ उपाध्याय) पद पर नियमों के अभाव में डीपीसी नहीं की गई तथा इन रिक्त पदों पर वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी/प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) को पातेय वेतन व्यवस्था में व्यवस्थार्थ लगाया गया था। जहां तक प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय पद की पदोन्नति का प्रश्न है, विभाग द्वारा पूर्व में रिक्ति वर्ष 2015–2016 के अंतर्गत की गई है और उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–6 विभाग के पत्र दिनांक 22.01.2016 के अनुसार प्रधानांचार्य वरिष्ठ उपाध्याय की पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग की राय में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के जो नवीन पद वर्ष 2000 के बाद से नवसृजित हुए हैं, उन्हें पुराने नियमों में शामिल ही नहीं करवाया जा सका। ऐसी स्थिति में उन पदों/वर्षों की डीपीसी करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः इन पदों को राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम विद्यालय शाखा नियम–2015 के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति वर्ष 2015–2016 में भरे जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। तदनुसार रिक्ति वर्ष 2015–2016 में डीपीसी करवाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2015 को राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 प्रकाशित कर दिये गये हैं, जिसमें

प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय हेतु पदोन्नति हेतु पदोन्नति नियम निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत बनाये गये हैं, जिनके अनुसार इस पद हेतु निर्धारित योग्यता व अनुभव निम्नानुसार है :–

पदनाम जिससे प्रधानाचार्य पद हेतु पदोन्नति की जानी है	**योग्यता**
प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय, वरिष्ठ उप निरीक्षक संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक	शास्त्री अथवा संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और शिक्षा शास्त्री/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री और आचार्य डिग्री में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी साथ ही – प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय/ वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर 07 वर्ष का अनुभव अथवा संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक के पद पर 07 वर्ष का अध्यापन अनुभव

4. उक्त नियमों के अनुसार ही विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2017 के द्वारा प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय पद की पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होने के कारण से पदोन्नति नहीं की गई। अपीलार्थी श्री रामगोपाल जाट शास्त्री परीक्षा वर्ष 1979 में साहित्य हिन्दी विषय के साथ तृतीय श्रेणी, एमए संस्कृत वर्ष 1982 में तृतीय श्रेणी तथा आचार्य परीक्षा साहित्य विषय में वर्ष 2002 में उत्तीर्ण है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 में दिनांक 28.03.2018 को संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय पद हेतु योग्यता व अनुभव निम्नानुसार संशोधित किये गये है। यह नियम राज्य सरकार के निर्देशानुसार रिक्ति वर्ष 2017–2018 से लागू होने हैं। तदनुसार योग्यता एवं वरिष्ठता रखने पर नियमानुसार पदोन्नति किया जाना सम्भव हो सकेगी।

पदनाम	**योग्यता**
प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय, वरिष्ठ उप निरीक्षक प्राध्यापक/उप निरीक्षक	आचार्य/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी और शिक्षा शास्त्री/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा साथ में प्रधानाध्यापक विद्यालय/वरिष्ठ प्रवेशिका उपनिरीक्षक/प्राध्यापक/उपनिरीक्षक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव

5. राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 09.10.2015 को राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 प्रकाशित कर दिये गये

है। उक्त नियमों के अनुसार ही विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2017 के द्वारा प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय पद की पदोन्नति हेतु पात्र नही होने के कारण से पदोन्नति नही की गई। अपीलार्थी श्री रामगोपाल जाट शास्त्री परीक्षा वर्ष 1979 में साहित्य हिन्दी विषय के साथ तृतीय श्रेणी, एमए संस्कृत वर्ष 1982 में तृतीय श्रेणी तथा आचार्य परीक्षा साहित्य विषय में वर्ष 2002 में उत्तीर्ण है।

6. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

7. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी वरिष्ठता सूची में एक नम्बर पर है और प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु समस्त योग्यता रखता है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गयी। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध प्राध्यापक/प्रधानाध्यापक प्रवेशिका को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी गयी, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गयी, लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं, जो नियमों के अनुसार योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को दी गयी है, परन्तु अपीलार्थी पदोन्नति हेतु पात्रता नहीं रखता है। इस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गयी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने शास्त्री परीक्षा वर्ष 1979 में साहित्य हिन्दी विषय के साथ तृतीय श्रेणी, एमए संस्कृत वर्ष 1982 में तृतीय श्रेणी तथा आचार्य परीक्षा साहित्य विषय में वर्ष 2002 में उत्तीर्ण की है। हम यह भी पाते हैं कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 में प्रधानाध्यापक पद के लिये जो योग्यता व अनुभव अंकित किये गये हैं, वे निम्न प्रकार से हैं :–

पदनाम जिससे प्रधानाचार्य पद हेतु पदोन्नति की जानी है	**योग्यता**
प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय, वरिष्ठ उप निरीक्षक संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक	शास्त्री अथवा संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और शिक्षा शास्त्री/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री और आचार्य डिग्री में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी साथ ही – प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय/ वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर 07 वर्ष का अनुभव अथवा संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक के पद पर 07 वर्ष का अध्यापन अनुभव

8. इस प्रकार शास्त्री परीक्षा व आचार्य डिग्री में अनुभव 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि अपीलार्थी ने शास्त्री परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ऐसे में अपीलार्थी प्रधानाध्यापक के पद की योग्यता उक्त नियम–2015 के अनुसार नहीं रखता है। ऐसे में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.04.2017 से पदोन्नति नहीं दिया जाना नियमों के अनुकूल है।
9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)